21/7/2020 पत्रावली आज वकील वादीगण व वादीगण स्वयं के उपस्थित होने पर प्रार्थना पत्र बाबत बाद पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज करने पेश किया। उपस्थित वकील वादीगण व वादीगण ने पत्रावली आदेशिका पर "Not Press" का अंकन कर वाद को आगे नहीं चलाकर खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया। अतः पत्रावली को वकील वादीगण व वादीगण स्वयं के निवेदन पर मुताबिक "Not Press" अंकन के बाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
मुख्यालय सीकर (राज.)